

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में
जारी हुए

09-01-25

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2341 दिनांक 09.09.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.02.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत अन्तिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है :-

ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा, भू0अ0नि0 क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	आराजी न0	रकबा (है0)
01	प्रमिला पत्नी राकेश औझा निवासी विजयसिंह पथिक नगर भीलवाडा	1778/1	0.6069
		कुल किता 01 कुल रकबा 0.6069 हैक्टेयर भूमि	
02	श्रीमती मीना पत्नी शैलेन्द्र सिंह मेहता निवासी शास्त्रीनगर, भीलवाडा	1778/2	0.6070
		कुल किता 01 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर भूमि	

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, तहसीलदार भीलवाडा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व प्रस्तावित नक्शा निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 09-01-25 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:- दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
30 / 2023

दायर दिनांक
14.03.2023

निर्णय दिनांक
09-01-23

उनवान

1. श्रीमती प्रमिला पत्नी राकेश औझा निवासी विजयसिंह पथिक नगर तहसील व जिला भीलवाड़ा

--- वादीया

बनाम

1. श्रीमती मीना पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह मेहता, निवासी शास्त्रीनगर, तहसील व जिला भीलवाड़ा हाल निवासी पेट्रोल पम्प के सामने, जे गार्डन, बापूनगर, भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।
3. उपपंजीयक पंजीयन, कार्यालय, भीलवाड़ा

--- प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादीया अधिवक्ता श्री रवि औझा उपस्थित।
2. विपक्षी संख्या 01 अधिवक्ता श्री ललितशंकर शर्मा उपस्थित।
3. विपक्षी संख्या 02 की और से पैराकार सरकार उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री रवि औझा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री ललित शंकर शर्मा उपस्थित। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 09-01-23 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा, भू0अ0नि0 क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	आराजी न0	रकबा (है0)
01	प्रमिला पत्नी राकेश औझा निवासी विजयसिंह पथिक नगर भीलवाड़ा	1778/1	0.6069
		कुल कित्ता 01	कुल रकबा 0.6069 हैक्टेयर भूमि
02	श्रीमती मीना पत्नी शैलेन्द्र सिंह मेहता निवासी शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा	1778/2	0.6070
		कुल कित्ता 01	कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर भूमि

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें, प्रस्तावित नक्शा निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा।


(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा